# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 119/2017

विकास कुमार उर्फ सागर गर्ग पुत्र वेदप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी 7 एल. ब्लॉक श्रीगंगानगर।

—— अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर, दिनांक 06.10..2015

**उपस्थितिः—**

श्री सुभाष मिढा , अभिभाषक अपीलांट
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 177 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम चक 4ए छोटी के मु.नं. 50 के कि.नं. 3/3 में 0.101है0 भूमि खातेदारी है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य का उपयोग न करके अकृषि का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया जा रहा है। वाद पेश होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 24.12.2012 को वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.10.2015 को विवादित भूमि को सिवाय चक कर बहक सरकार लेने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। विवादित भूमि खाली रहती है। किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अधी. न्यायालय ने स्टेट का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि से गैर कृषि कार्य किया जा रहा था जिस बाबत तहसीलदार द्वारा अधी. न्यायालय में वाद पेश किया। सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधी. न्यायालय ने वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि पर प्लाट काटकर/सड़के बनाकर अकृषि कार्य होने की वजह से अधिग्रहण की जाकर बहक सरकार घोषित की है जो अपीलांट को बिना सुने रकबा राज घोषित कर किसी अन्य को आवंटन के उद्देश्य से नियम विरूद्ध अधिग्रहण की कार्यवाही की है जिसे निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन अधी. न्यायालय की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि निर्णय अपीलांट को सुने बगैर हुआ है तथा पत्रावली की आदेशिका में एक पक्षीय होने का आदेश भी पारित नहीं हुआ है, अपीलांट को जरिये अखवार तलब किये जाने की फर्दअहकाम के बाद सीधे ही निर्णय पारित होना जाहिर है जो पूर्ण प्रकियाऐं न पालना करने का नुक्स प्रतीत होता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में जाहिर किया है कि अपीलांट लम्बे समय से बीमार चल रहा है जिसके समर्थन में चिकित्सक द्वारा अपीलांट के

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इलाज से सम्बन्ध में न्यूरो सर्जरी की Discharge summary में दर्शाया है " Spinal injury - comlete paraplegia with bladder bowel involvement. Collapse Fracture D6 and D7 vertebral body with cord contusion."

उपरोक्त चिकित्सीय दस्तावेज से साबित है कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व की समयावधि में अपीलांट अपरिहार्य कारणों से अपना पक्ष पेश करने में असमर्थ था। अतः एक पक्षीय निर्णय न्यायहित में उचित नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र का दिनांक 18.12.12 में मौके पर सड़के बनाकर अकृषि कार्य किये जाने का अंकन है जबकि निर्णय दिनांक 06.10.2015 में मौके पर प्लाट काटकर/ सड़कें बनाकर अकृषि कार्य होना मानकर निर्णय पारित किया है जो प्लाट काटने का तथ्य अधी. न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने के बाबजूद उसे अंकित करना उचित नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा अधिग्रहणशुदा जमीन कर कुल रकबा 0.101है0 ही कृषि भूमि है जिसे पर सड़के बनाना, प्लाट काटना न Viable है न ही Possible. अतः यह रकबा राज. घोषित कर अपीलांट की आपत्ति कि किसी अन्य को आवंटन करने के प्रयोजन से किया है। अपीलांट के कथन को बल प्रदान करता है।

उपरोक्त के अधिनिरिक्त अगर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ ध्यान आने पर राज. भू. राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए की कार्यवाही की जाकर धारा 91 की प्रकिया अपनाकर अकृषि कार्य को हटाये जाने का विकल्प उपलब्ध है।

अतः पत्रावली के अवलोकन उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने, अधिग्रहित रकबा 0.101है0 इतना छोटे रकबे पर प्लाट व सड़के बनाना असम्भव तथा अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित किया है तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/17

(पेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)
श्रीगंगानगर

# डिक्री व सीगे अपील

( ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

विकास कुमार उर्फ सागर गर्ग पुत्र वेदप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी 7 एल. ब्लॉक श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट

अपील संख्या 119/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीगंगानगर मुर्क्ख 06 माह 10 सन् 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 14 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सुभाष मिढा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2015 अपास्त किया जाता है। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)